

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 46/2020 (2020/00116)

दर्ज दिनांक 08.06.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. सरोज पत्नी सुनील कुमार नानेचा (जैन) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीया

बनाम

1. केसर पत्नि रामचन्द्रदास बैरागी
2. देवीलाल (लाला) पुत्र बरदीशंकर ब्राह्मण
3. महावीर पुत्र रामचन्द्र तेली
4. शौकत पुत्र ईस्माईल साई (मुसलमान)
5. हजारी पुत्र रकबा खटीक
6. डालचन्द्र पुत्र देवा खटीक
7. लक्ष्मीलाल पुत्र मांगु खटीक
8. बंशीलाल पुत्र छोगा खटीक
9. मूलचन्द्र पुत्र छोगा खटीक
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री सुनिल कुमार जैन

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-29.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 62 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 66 रकबा 0.55 कुल किता 02 कुल रकबा 0.77 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1716 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 10 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना अधिवक्ता को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

हस्ताक्षर वकील

ता 08

मा. 06

पग

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 62 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 66 रकबा 0.55 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.77 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1716 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपस्थित अधिकारी
(विष्णु पंचोली)
उपस्थित अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)